प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 जून, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू पुत्र श्री गया प्रसाद त्रिपाठी, निवासी जनपद-प्रयागराज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1683/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-15.11.2022, दिनांक 18.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामचन्द्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू पुत्र श्री गया प्रसाद त्रिपाठी, भोजपुर, थाना-पूरामुफ्ती, जनपद-प्रयागराज का निवासी है। बन्दी द्वारा व्यावसायिक, राजनैतिक व पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 13.08.1996 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एके-47 रायफल, पिस्टल व बंदूक से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-351/2015 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147, 148 व 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्या० कक्ष सं०-05, प्रयागराज के आदेश दिनांक 04.11.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.05.2022 तक अपरिहार 07 वर्ष, 17 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 04 माह 14 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा अपरिहार 07 वर्ष, 17 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 04 माह, 14 दिन की भोगी गयी सजा, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामचन्द्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू (बन्दी संख्या-514/2019) पुत्र श्री गया प्रसाद त्रिपाठी, निवासी जनपद-प्रयागराज की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-635/2025/634(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।